

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी प्रैस नोट

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा मास सितम्बर-2018 में संचालित करवाई गई सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) परीक्षा में दर्ज अनुचित साधन प्रयोग सम्बन्धी केसों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 08.10.2018 व 09.10.2018 को बोर्ड मुख्यालय पर बुलाया गया है। सम्बन्धित परीक्षार्थियों द्वारा बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करवाए गए दूरभाष नम्बर पर SMS भेजते हुए इनकी सूची बोर्ड वैबसाईट www.bseh.org.in पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। अतः जिन परीक्षार्थियों को इस बारे सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वे परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय की यू0एम0सी0 शाखा (कमरा नं0 71) में उपरोक्त तिथि से पूर्व व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर लें।

हस्ता0/-
अध्यक्ष